दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण

देव नंदन कुमार और प्रो. (डॉ.) माला टंडन

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, एक अरब से अधिक लोग अथवा विश्व जनसंख्या का लगभग 15 प्रतिशत, किसी न किसी प्रकार की निःशक्तता से ग्रस्त हैं. इनमें से 80 प्रतिशत दिव्यांगजन विकासशील देशों में रहते हैं.

वे एक सामान्य व्यक्ति की तरह हमारे समाज का अभिन्न भाग हैं. परंतु हम में से ज़्यादातर को शायद ही यह मालूम होता है कि हमारे आस पड़ौस में कितनी संख्या में दिव्यांगजन रहते हैं और क्या उन्हें देश के प्रत्येक नागरिक की तरह समान अधिकार प्राप्त हो भी रहे हैं अथवा नहीं. दिव्यांगजन उन्हें कानून के तहत प्रदत्त सभी प्रकार के लाभ प्राप्त करने और एक बहुत ही सामान्य जीवन जीने के समान अधिकार रखते हैं. हम सभी को एक समता मूलक समाज के रूप में खुद को स्थापित करने और उनकी विशेष जरूरतों तथा अपने आसपास के वातावरण को दिव्यांग अनुकूल बनाने के लिये एक नागरिक के तौर पर अपने कर्त्तव्यों को समझने की आवश्यकता है.

अंतर्राष्ट्रीय निःशक्त व्यक्ति (दिव्यांगजन) दिवस

निःशक्त व्यक्ति (दिव्यांगजन) ''विश्व के सबसे बड़े अल्पसंख्यक'' की श्रेणी में आते हैं और वे उनके लिये उचित संसाधनों तथा अधिकारों के अभाव के कारण जीवन के सभी पहलुओं में अनेक प्रकार की बाधाओं का सामना करते हैं. वर्ष 1992 में 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के तौर पर घोषित किया गया था. तब से लेकर, इसे दुनिया भर में हर वर्ष अनेक सफलताओं के साथ निरंतर मनाया जा रहा है. भारत में, अंतर्राष्ट्रीय निःशक्त व्यक्ति दिवस के अवसर पर, भारत के माननीय राष्ट्रपति व्यक्तियों/ संस्थानों/ राज्यों/ज़िलों को निःशक्त व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिये उनकी उपलब्धियों के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करते हैं. इन पुरस्कारों की स्थापना दिव्यांगजनों से जुड़े मुद्दों पर जनता का ध्यान केंद्रित करने और उनका समाज की मुख्य धारा में उन्नयन के उद्देश्य से की गई है. ये पुरस्कार 14 प्रमुख श्रेणियों के अंतर्गत हर वर्ष 'अंतर्राष्ट्रीय निःशक्त व्यक्ति दिवस' के अवसर पर प्रदान किये जाते हैं.

निःशक्तता क्या होती है.

फंक्शनिंग, डिसएबिलिटी एंड हेल्थ (आईसीएफ) का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण विकलांगता, गतिविधि सीमाओं और भागीदारी प्रतिबंधों के लिये एक छत्र शब्द के रूप में विकलांगता को परिभाषित करता है. विकलांगता एक स्वास्थ्य स्थिति (जैसे कि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, डाउन सिंड्रोम और अवसाद) तथा व्यक्तिशः और वातावरणीय कारकों (जैसे कि नकारात्मक दृष्टिकोण, दुर्गम परिवहन और सार्वजनिक भवन तथा सीमित सामाजिक समर्थन) के मध्य अन्योन्यक्रिया है.

निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 में परिभाषित ''बेंचमार्क निःशक्त व्यक्ति'' का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से है जो विनिर्दिष्ट निःशक्तता के 40 प्रतिशत से कम ग्रसित नहीं है, जहां विनिर्दिष्ट निःशक्तता को मापने योग्य शर्तों में परिभाषित नहीं किया गया है, और इसमें वह निःशक्त व्यक्ति शामिल है जहां विनिर्दिष्ट निःशक्तता को मापने योग्य शर्तों में परिभाषित किया गया है, जिसे कि प्रमाणन प्राधिकारी ने प्रमाणित किया है. संदर्भ आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, 2016, अध्याय 1, खंड 2, उप-खंड (आर) का संदर्भ लें). निःशक्त व्यक्ति अधिकार (आरपीडी) अधिनियम, 2016 19.04.2017 से प्रभावी हो गया है, और नये आरपीडी अधिनियम के अनुसार निःशक्तता की श्रेणियों की संख्या 7 से 21 हो गई है.

निःशक्तता प्रमाणन

निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 में दिव्यांगजनों को, जिनकी चिकित्सा प्राधिकारी से यथा प्रमाणित कोई भी निःशक्तता 40 प्रतिशत से कम नहीं है, कुछेक लाभ प्रदान किये गये हैं. इस तरह कोई दिव्यांगजन यदि अधिनियम के तहत लाभ लेना चाहता है तो उसे उद्देश्य के लिये अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी से निःशक्तता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा. प्रमाणपत्र निःशक्त व्यक्ति विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बनाये गये दिशानिर्देशों के आधार पर जारी होते हैं. राज्य सरकारों को निःशक्त व्यक्तियों से प्राप्त आवेदनों के आधार पर निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी करने की ज़िम्मेदारी दी गई है. मुख्य आयुक्त, निःशक्त व्यक्ति के कार्यालय से उपलब्ध डॉटा के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार अगस्त, 2017 की स्थिति के अनुसार 57.98 प्रतिशत निःशक्त व्यक्तियों को निःशक्तता प्रमाण-पत्र जारी किये जा चुके हैं.

निःशक्त व्यक्तियों की जनसंख्या

निःशक्त व्यक्तियों का प्रतिशत अमेरिका में 12 प्रतिशत, ब्रिटेन में 18 प्रतिशत, जर्मनी में 9 प्रतिशत, श्रीलंका में 5 प्रतिशत, पाकिस्तान में 9 प्रतिशत है. आंकड़ों की यह भिन्नता उस तरीके के कारण है जिसके तहत हम निःशक्तता का अनुमान लगाते हैं. 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 2.68 करोड़ निःशक्त व्यक्ति हैं. (जो कि कुल जनसंख्या का 2.21 प्रतिशत होता है). निःशक्त व्यक्तियों की कुल जनसंख्या में से, लगभग 1.50 करोड़ पुरुष और 1.18 करोड़ महिला हैं. इनमें दृश्य, श्रवण, बोलने और गतिविषयक विकलांगता तथा अन्य श्रेणी के विकलांग व्यक्ति शामिल हैं. मौजूदा जनगणना के आंकड़े व्यापक विविधता को प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनमें दृष्टि, श्रव्य, बोलने, चलने-फिरने, मानसिक विकलांगता, मानसिक बीमारी, अनेक प्रकार की निःशक्तताएं और अन्य शामिल हैं.

दिसंबर, 2016 में निःशक्त व्यक्ति अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 के अधिनियमन के उपरांत भारत सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

1. इसने उक्त अधिनियम के अनुच्छेद 100 के अनुसरण में 15.06.2017 को निःशक्त व्यक्ति अधिकार नियम, 2017 अधिसूचित किये. इन नियमों में निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं:-

a) निर्मित वातावरण, यात्री बस परिवहन के लिये सुगम्यता मानदंड और वेबसाइट पर विषयवस्तु डाली जाये.

b) निःशक्तता प्रमाणपत्र के लिये आवेदन करना और प्रदान किया जाना.

c) समान अवसर नीति के प्रकाशन का तरीका और निःशक्त व्यक्तियों के संबंध में रिकार्ड का रखरखाव.

d) निःशक्तता के आधार पर भेदभाव न किये जाने के प्रावधान के कार्यान्वयन के लिये तंत्र.

e) राष्ट्रीय कोष के उपयोग और प्रबंधन का तरीका.

2. आगे आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के अनुच्छेद 56 के अनुसरण में विनिर्दिष्ट निःशक्तता के विस्तार के मूल्यांकन के लिये दिशा-निर्देश 04.01.2018 को अधिसूचित किये गये. इन दिशा-निर्देशों में चिकित्सा प्राधिकारी के संयोजन सहित ऑटिज्म को छोड़कर अधिनियम में वर्णित विनिर्दिष्ट सभी निःशक्तताओं के मूल्यांकन और प्रमाणन के लिये प्रक्रिया का प्रावधान किया गया. 12.01.2018 के पत्र के तहत राज्य स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ राज्य समाज कल्याण विभाग को इन दिशा-निर्देशों का पालन करने का परामर्श दिया गया. राज्यों को 25.04.2016 को विभाग द्वारा अधिसूचित ऑटिज्म से संबंधित दिशा-निर्देशों का पालन करने का भी परामर्श दिया गया.
3. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने केंद्रीय सरकार की नौकरियों में 4 प्रतिशत आरक्षण लागू करने और रिक्तियों की गणना के तरीके बारे में 15.01.2018 को आदेश जारी किया.
4. सरकार ने माननीय मंत्री (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) की अध्यक्षता में केंद्रीय निःशक्तता सलाहकार बोर्ड का गठन किया है.
5. उक्त अधिनियम के अनुच्छेद 38 के अधीन यथापेक्षित उच्च समर्थन आवश्यकताओं के साथ व्यक्तियों के लिये मूल्यांकन हेतु नियमों को शामिल करने हेतु सुझाव देने के लिये विशेष महानिदेशक (अब महानिदेशक), डीजीएचएस की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया.
6. केंद्रीय सरकार में निःशक्त व्यक्तियों के लिये पदों की पहचान करने के लिये विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है.
7. राज्यों को नये अधिनियम के प्रावधानों और उनके द्वारा उठाये जाने वाले कदमों के बारे में संवेदनशील करने के लिये देश में 5 स्थानों पर क्षेत्रीय बैठकें आयोजित की गईं.

निःशक्त व्यक्ति अधिनियम और राष्ट्रीय नीति का कार्यान्वयन तंत्र

1. केंद्रीय स्तर पर निःशक्त व्यक्तियों के लिये मुख्य आयुक्त और राज्य स्तर पर राज्य आयुक्त अपनी संबंधित वैधानिक जिम्मेदारियों के अलावा राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
2. नीति के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मामलों में समन्वय के लिये निःशक्त व्यक्ति अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नोडल विभाग है.
3. निःशक्तता पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड, हितधारी प्रतिनिधित्व के साथ, राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों का समन्वय करता है. राज्य स्तर पर भी इस प्रकार का एक बोर्ड है.
4. गृह; स्वास्थ्य और परिवार कल्याण; ग्रामीण विकास; शहरी विकास; युवा मामले और खेल; रेलवे; विज्ञान और प्रौद्योगिकी; सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन; श्रम; पंचायती राज और महिला एवं बाल विकास मंत्रालयों तथा प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा; सड़क परिवहन और राजमार्ग; लोक उद्यम; राजस्व; सूचना प्रौद्योगिकी और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की भी निःशक्त व्यक्तियों के लिये राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन के लिये पहचान की गई है.
5. पंचायती राज संस्थान और शहरी स्थानीय निकायों को ज़िला निःशक्तता केंद्रों के कामकाज से संबद्ध किया गया है. उन्हें स्थानीय स्तर के मुद्दों के हल के लिये राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है.

निःशक्त व्यक्तियों के लिये भारत सरकार की योजनाएं

भारत सरकार निःशक्त व्यक्तियों की अधिकारिता और पुनर्वास के लिये विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है. इन योजनाओं का उद्देश्य भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, शिक्षण और आर्थिक पुनर्वास को बढ़ावा देना तथा निःशक्त व्यक्तियों का उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिये विकास करना तथा प्रतिष्ठा के साथ जीवनयापन के लिये सहायता करना है. निःशक्त व्यक्तियों के लिये लागू की गई प्रमुख योजनाएं निम्नानुसार हैं:

1. विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी)

भारत सरकार निःशक्त व्यक्तियों का राष्ट्रीय डॉटा बेस तैयार करने और इन सभी को विशिष्ट पहचान पत्र जारी करने के लिये यूडीआईडी परियोजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है. यह परियोजना निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी करने के लिये ऑनलाइन मंच भी उपलब्ध करायेगा. किसी भी प्राधिकारी से जारी निःशक्तता प्रमाणपत्र को देश भर में वेब पोर्टल के जरिए साक्ष्यांकित किया जा सकता है.

2. निःशक्त व्यक्तियों को सहायता/उपकरणों (एडीआईपी) की ख़रीद/फिटिंग में सहायता

इस योजना का मुख्य उद्देश्य विकलांगता के प्रभावों को कम करने के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों के शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिये टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से निर्मित, आधुनिक, मानक सहायक उपकरणों की ख़रीद में जरूरतमंद विकलांग व्यक्तियों की सहायता करके उनकी आर्थिक क्षमता में वृद्धि करना है. निःशक्त व्यक्तियों को स्वतंत्र कामकाज में सुधार लाने और विकलांगता की सीमा को नियंत्रित करने तथा माध्यमिक विकलांगता से बचाने के उद्देश्य से प्रदान किये जाते हैं. योजना के अधीन अब तक का सबसे बड़ा सामाजिक अधिकारिता शिविर राजकोट, गुजरात में आयोजित किया गया जहां 11.19 करोड़ रु. मूल्य के उपकरण और सहायक यंत्र 17589 दिव्यांग लाभार्थियों को वितरित किये गये. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इस समारोह को शोभायमान किया. विभाग और एएलआईएमसीओ द्वारा कार्यक्रम के दौरान राजकोट में दो गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाये गये.

a) हमारा राष्ट्रीय गान प्रस्तुत करते हुए एक ही स्थान पर सांकेतिक भाषा में 1445 श्रव्य विकलांगों की उच्चतम भागीदारी. इससे पूर्व 978 श्रव्य विकलांग व्यक्तियों की भागीदारी के साथ ताइवान (चीन) में इस तरह का रिकार्ड बनाया गया था.

b) (ii) दूसरे गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में ओर्थोसिस (कैलीपर्स) की सर्वाधिक संख्या की श्रेणी में एक ही दिन में 781 चलने फिरने में निःशक्त व्यक्तियों के लिये फिट किये गये.

3. निःशक्त व्यक्ति अधिनियम के कार्यान्वयन के लिये योजना (एसआईपीडीए)

निःशक्त व्यक्तियों के लिये बाधा रहित वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में स्कूलों, कॉलेजों, शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थानों, कार्यालयों और सार्वजनिक भवनों, मनोरंजन क्षेत्रों, स्वास्थ्य केंद्रों/अस्पतालों आदि में निर्मित वातावरण में सुगमता प्रदान करना शामिल है.

इसमें रैंप, रेल, लिफ्ट, व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिये शौचालयों का अनुकूलन, ब्रेल संकेत और श्रवण संकेत, स्पर्शशील फर्श का प्रावधान शामिल है जिससे व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं की आसान पहुंच के लिये फुटपाथ में किये जाने वाले कट और ढलान पर अंकुश लगाया जा सकेगा. दृष्टिहीन या कम दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिये ज़ेबरा क्रॉसिंग, दृष्टिहीन के लिये रेलवे प्लेटफार्मों के किनारों पर उत्कीर्णन या कम दृष्टि वालों के लिये और विकलांगता के उपयुक्त प्रतीकों को तैयार करना आदि शामिल है.

4. दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)

विभाग की दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसमें दिव्यांग जनों को शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना और पुनर्वास करना शामिल है. निःशक्त व्यक्ति अधिनियम (पीडब्ल्यूडी), 1995 का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य के साथ, अनुकूल वातावरण के सृजन के जरिए 1999 से यह योजना प्रचालन में है और इसके अंतर्गत निःशक्त व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिये परियोजनाएं संचालित करने हेतु वित्तीय सहायता के जरिए ग़ैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहन दिया जाता है.

5. निःशक्त व्यक्तियों के लिये राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

निःशक्त व्यक्तियों के लिये राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति की शुरुआत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय में एम.फिल और पीएच.डी. जैसे डिग्रियां हासिल करने के लिये निःशक्त छात्रों के अवसर बढ़ाने हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान की गई थी.

6. निःशक्त छात्रों के लिये राष्ट्रीय समुद्रपारीय स्कॉलरशिप

निःशक्त व्यक्तियों को विदेश में मास्टर डिग्री और पीएच.डी. के स्तर के

दिव्यांगजनों ...

(पृष्ठ 1 का शेष)

अध्ययन करने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से निःशक्त छात्रों के लिये राष्ट्रीय समुद्रपारीय स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत की गई. हर साल बीस (20) स्कॉलरशिप प्रदान की जा रही हैं जिनमें से छह महिला उम्मीदवारों के लिये आरक्षित हैं. स्कॉलरशिप की राशि में अनुरक्षण भत्ता, आकस्मिक खर्च भत्ता, ट्यूशन फीस और विमान पारगमन की लागत आदि शामिल है. माता-पिता की आय की सीमा रु. 6.00 लाख प्रति वर्ष रखी गई है.

7. निःशक्त छात्रों के लिये मैट्रिक पूर्व स्कॉलरशिप और मैट्रिक उपरांत स्कॉलरशिप

योजनाओं का उद्देश्य निःशक्त छात्रों को प्री-मैट्रिक स्तर (कक्षा IX और X) तथा पोस्ट-मैट्रिक स्तर (कक्षा XI, XII और स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा स्तर तक) अध्ययन के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करना है.

8. दिव्यांग छात्रों के लिये सर्वोच्च स्तरीय शिक्षा के लिये स्कॉलरशिप

योजना का उद्देश्य किसी भी विषय क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा के स्तर पर अध्ययन करने के लिये पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए निःशक्त छात्रों के बीच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहचान और प्रोत्साहन प्रदान करना है. यह योजना उत्कृष्ट संस्थानों के तौर पर निःशक्त व्यक्ति अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अधिसूचित 240 संस्थानों में चलाई जायेगी.

9. सुगम्य भारत अभियान

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने निर्मित ढांचों, परिवहन और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी में निःशक्त व्यक्तियों के लिये सार्वभौमिक सुगम्यता के सृजन के लिये 3 दिसंबर, 2015 को सुगम्य भारत अभियान (एआईसी) का शुभारंभ किया. अभियान निःशक्तता के सामाजिक आदर्श के सिद्धांतों पर आधारित है कि निःशक्तता समाज के संगठित होने के तरीके से होती है न कि व्यक्ति की सीमाओं और दुर्बलताओं के कारण होती है. अभियान में एक समावेशी समाज के निर्माण का दृष्टिकोण रखा गया है जिसमें निःशक्त व्यक्तियों के विकास और प्रगति के लिये समान अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं ताकि वे उत्पादक, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकें.

निःशक्त व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिये सांस्थानिक ढांचा

कानूनी ढांचे के अलावा, व्यापक बुनियादी ढांचे का विकास किया गया है. तीन सांविधिक निकाय, दो केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम, नौ राष्ट्रीय संस्थान, सोलह समग्र क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी) और 263 जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिये काम कर रहे हैं. उपर्युक्त के अलावा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन पुनर्वास के क्षेत्र में काम कर रहे कई अन्य राष्ट्रीय संस्थान भी हैं, जैसे कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (एनआईएमएचएएनएस), बंगलौर, अखिल भारतीय शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान (एआईआईपीएमआर), मुंबई, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग (एआईआईएसएच), मैसूर, केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान (सीआईपी), रांची आदि. इनके अलावा कुछेक राज्य सरकार के संस्थान भी पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराते हैं. इसके अतिरिक्त, देश भर में 50 से अधिक विश्वविद्यालयों सहित 500 संस्थान भारतीय पुनर्वास परिषद से विधिवत मान्यता के साथ पुनर्वास विशेषज्ञों के लिये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करते हैं.

1. राष्ट्रीय दिव्यांगजन संस्थान

इस मंत्रालय के अधीन नौ राष्ट्रीय संस्थान हैं जो निःशक्तता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. राष्ट्रीय संस्थान विभिन्न प्रकार की निःशक्तताओं के सशक्तिकरण के लिये स्थापित स्वायत्त संस्थाएं हैं. ये संस्थान निःशक्तता के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास के लिये काम कर रहे हैं और निःशक्त व्यक्तियों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान कर रहे हैं तथा शोध और विकास के लिये प्रयासरत हैं.

2. निःशक्त व्यक्तियों के कौशल प्रशिक्षण, पुनर्वास और अधिकारिता के लिये संयुक्त क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसीज)

निःशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत मौजूदा राष्ट्रीय संस्थान निःशक्तता के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों से संबंधित हैं, उनके वर्तमान बुनियादी ढांचे सुविधाओं की कमी के कारण सभी राज्यों को, देश के कम विकसित क्षेत्रों सहित, सभी प्रकार की निःशक्तताओं के लिये सेवाएं प्रदान करने के लिये पर्याप्त नहीं हैं. इसलिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने पुनर्वास के निवारक और प्रचार दोनों पहलुओं जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार और व्यावसायिक प्रशिक्षण, अनुसंधान और मानवशक्ति विकास आदि की सेवाएं प्रदान करने के लिये सोलह सीआरसीज की स्थापना की है. इसके अलावा निःशक्त व्यक्ति अधिकारिता विभाग, भारत सरकार ने दिनांक 29.12.2014 को हुई स्थाई वित्त समिति (एसएफसी) की बैठक में निर्णय लिया कि प्रत्येक राज्य में नया संयुक्त क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी) खोलने और बड़े राज्यों में दो अथवा अधिक सीआरसीज खोलने की संभावना का पता लगाया जाये. इसके अलावा, भारत के राष्ट्रपति पहले ही कुछ सीआरसीज के लिये 19 स्थाई पदों की मंजूरी दे चुके हैं. सीआरसी स्थापना योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजना का कार्यान्वयन एक बार पूरा हो जाने पर, यह मौजूदा राष्ट्रीय/

सर्वोच्च संस्थानों की तर्ज पर इस उद्देश्य के लिये बनाई जाने वाली अलग स्वायत्त संस्था के तौर पर संचालित किया जायेगा.

3. डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय

डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय की स्थापना दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ में की गई है. अपनी तरह की यूनिवर्सिटी, जो कि विकलांग छात्रों को बाधारहित वातावरण में सुगम और गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा भी उपलब्ध कराती है. यह विश्वविद्यालय अन्यों से काफी भिन्न एक विशिष्ट प्रकृति का है. विश्वविद्यालय अधिदेश मुख्यतः समाज के दिव्यांग छात्रों की सेवा करना है जिसके लिये सामान्य आरक्षण नीति के अलावा विश्वविद्यालय के सभी पाठ्यक्रमों में पचास प्रतिशत सीटें क्षैतिज आरक्षण के तहत प्रदान की गई हैं.

4. जगदगुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय

जगदगुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना निःशक्त व्यक्तियों को उच्चतर और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिये की गई थी. विश्वविद्यालय इस विश्वास के साथ कि औपचारिक स्कूल प्रणाली में कवरेज क़रीब 5 प्रतिशत है, केवल निःशक्त व्यक्तियों को प्रवेश प्रदान करती है. उच्चतर शिक्षा का परिदृश्य अधिक गंभीर है. निःशक्त व्यक्तियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति और उनके लिये उच्चतर शिक्षा केंद्र पर उपलब्ध सुविधाओं को उच्चतर शिक्षा प्राप्ति में प्रमुख बाधा माना जाता है. यद्यपि विकलांग व्यक्तियों की कुछेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये विभिन्न संस्थान और संगठन हैं, ऐसे संस्थानों/संगठनों की गतिविधियां बहुत ही सीमित पाई जाती हैं.

5. जिला निःशक्त पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी)

ज़िला निःशक्तता पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ज़मीनी स्तर पर निःशक्त व्यक्तियों को समग्र सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिये और जागरूकता सृजन, पुनर्वास तथा पुनर्वास विशेषज्ञों के प्रशिक्षण के लिये जिला स्तर पर अवसंरचना और क्षमता निर्माण के लिये आउटरीच गतिविधि के तौर पर शुरू किये गये हैं. अब तक 263 डीडीआरसीज की स्थापना की जा चुकी है (अर्थात कम से कम एक बार अनुदान सहायता दे दी गई है) और डीडीआरसीज की स्थापना की योजना नौंवी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी जो अब भी जारी है.

6. राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम (एनएचएफडीसी)

राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम (एनएचएफडीसी) की स्थापना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने 24 जनवरी, 1997 को की थी. कंपनी को लाभ नहीं कमाने वाली कंपनी के तौर पर कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 25 (कंपनी अधिनियम 2013 का अनुच्छेद 8) के अधीन पंजीकृत किया गया है. यह भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली है और इसकी अधिकृत शेयर पूंजी 400 करोड़ रु. तथा प्रदत्त पूंजी 361.95 करोड़ रु. है. कंपनी का प्रबंधन भारत सरकार द्वारा मनोनीत निदेशक मंडल करता है.

7. भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एएलआईएमसीओ)

यह भारत सरकार के 100 प्रतिशत स्वामित्व वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है जिसका उद्देश्य विकलांग जनों के लिये पुनर्वास उपकरणों का अधिकतम संभव विनिर्माण करके और देश में दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंगों और अन्य सहायक उपकरणों की उपलब्धता, उपयोग, आपूर्ति और वितरण को बढ़ावा और प्रोत्साहित करते हुए लाभ पहुंचाना है.

सांविधिक निकाय और उनकी गतिविधियां

1. निःशक्त व्यक्तियों के लिये मुख्य आयुक्त(सीसीपीडी)

निःशक्त व्यक्तियों के लिये मुख्य आयुक्त के कार्यालय की स्थापना पूर्ववर्ती निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की संरक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के अनुच्छेद 57 (1) के अधीन की गई थी तथा इसने निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 के अधीन कार्य का संचालन जारी रखा है. मुख्य आयुक्त को निःशक्त व्यक्तियों के लिये राज्य आयुक्तों के कार्य का समन्वय करने, केंद्रीय सरकार द्वारा वितरित निधियों के इस्तेमाल की निगरानी करने और निःशक्त व्यक्तियों के लिये उपलब्ध अधिकारों और सुविधाओं की संरक्षा करने के लिये कदम उठाने का दायित्व सौंपा गया है. निःशक्त व्यक्तियों के लिये मुख्य आयुक्त को अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिये दीवानी अदालत की कुछ शक्तियां भी प्रदान की गई हैं.

2. ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और एकाधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट

राष्ट्रीय ट्रस्ट की स्थापना दो बुनियादी कार्यों-कानूनी और कल्याण के निर्वहण के लिये की गई है. कानूनी ड्यूटियों का निर्वहन कानूनी संरक्षा प्रदान करने वाली स्थानीय स्तर की समिति करती हैं. कल्याण संबंधी ड्यूटी का निर्वहन योजनाओं के जरिए किया जाता है. राष्ट्रीय स्तर की गतिविधियों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रशिक्षण, जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों तथा आश्रय, देखभाल प्रदान करना और अधिकारिता से संबंधित होती हैं. राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम के अधीन आने वाले निःशक्त व्यक्तियों को समान अवसर, अधिकारों की संरक्षा और पूर्ण भागीदारी प्रदान के लिये प्रतिबद्ध है.

3. भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई)

भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) को संसद के अधिनियम द्वारा

सांविधिक दर्ज़ा प्रदान किया गया है. परिषद को निःशक्तता पुनर्वास तथा विशेष शिक्षा के क्षेत्र में पेशेवरों तथा कार्मिकों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों के नियमन और निगरानी करने तथा एक केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर (सीआरआर) के अनुरक्षण का अधिदेश प्राप्त है. देश भर में अक्तूबर 2019 की स्थिति के अनुसार लगभग 621 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान और 14 राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा निःशक्तता के क्षेत्र में प्रमाणपत्र से लेकर एम.फिल तक के आरसीआई अनुमोदित पाठ्यक्रम संचालित किये जाते हैं. वर्तमान में नियमित पद्धति के जरिए 60 पाठ्यक्रम संचालन में हैं जिनके तहत आरसीआई को आबंटित पेशेवरों/कार्मिकों की सभी 16 श्रेणियों को शामिल किया जाता है. अब तक 1.40 लाख पेशेवरों और कार्मिकों को केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर में पंजीकृत किया जा चुका है.

लेखक भारत सरकार के अधीन सीआरसी पटना में पुनर्वास अधिकारी हैं, ई-मेल. devnkumar@gmail.com, प्रो. (डॉ.) माला टंडन, उप निदेशक और एमिटि इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, एमिटि विश्वविद्यालय, लखनऊ , उत्तर प्रदेश की संस्थान प्रमुख हैं. ई-मेल. mtondon@lko. amity.edu)

व्यक्त विचार व्यक्तिगत हैं.

(चित्र: गूगल के सौजन्य से)